



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एससी/एसटी एक्ट एवं हत्या के प्रयास में अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 25,000/- रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0- 210/2024 धारा-307 भा0द0सं0 व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एससीएसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्ता कस्तूरी प्रजापति पत्नी विनोद कुमार प्रजापति निवासी ग्राम कोठा, थाना मझगवां, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास एवं 25,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दोषसिद्ध द्वारा वादी मुकदमा को क्षतिपूर्ति के रूप में 25,000/- रुपये की धनराशि देय होगी।



अभियोजक
एसएसपी विजय सिंह



विवेचक-
क्षेत्राधिकारी दिलीप
सिंह



पैरोकार- थाना
राठ
का0 सर्वज्ञ